



# कार्यालय: सहायक निदेशक, महिला अधिकारिता, डूंगरपुर

E-Mail : we.dungarpur@gmail.com

साबेला, बाई पास रोड डूंगरपुर



क्रमांक : मअ/डूंगरपुर/साथिन/विज्ञप्ति/2024/864

दिनांक : 29-11-2024

विज्ञप्ति संख्या : 2024/01

निदेशालय महिला अधिकारिता, महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान जयपुर के परिपत्र क्रमांक प. 19(1)निमअ/साथिन चयन/परिपत्र/2021/38229 जयपुर, दिनांक 14.10.2022 की अनुपालना में जिले की निम्नलिखित उपखण्ड के अधीन ग्राम पंचायतों में साथिन के स्वैच्छिक मानदेय सेवा के रिक्त पदों हेतु सहायक निदेशक, महिला अधिकारिता, डूंगरपुर के कार्यालय में आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं—

क्र.स.	उपखण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	आरक्षण
1	आसपुर	सकानी	अनारक्षित
		गलियाणा	अनारक्षित
2	साबेला	लेम्बाता	अनुसूचित जनजाति
3	बिछीवाडा	नवलश्याम	अनुसूचित जनजाति
		कवालियादरा	अनुसूचित जनजाति
		छापी	अनुसूचित जनजाति
4	चिखली	लिखतिया पंचकुण्डी	अनुसूचित जनजाति
		धनगांव	अनुसूचित जनजाति
5	दोवडा	दोवडा	अनुसूचित जनजाति
		ओडवाडिया	अनारक्षित
		कोलखण्डापल	अनुसूचित जनजाति
		नरणिया	अनुसूचित जनजाति
		बियोडा	अनुसूचित जनजाति
6	डूंगरपुर	बिलडी,	अनुसूचित जनजाति
		भटवाडा	अनुसूचित जनजाति
		बोरी	अनुसूचित जनजाति
		वागदरी	अनुसूचित जनजाति
		उपरगांव	अनुसूचित जनजाति
		बलवाडा	अनुसूचित जनजाति
		गडामोरेया	अनुसूचित जनजाति
7	गलियाकोट	गडामेडतिया	अनुसूचित जनजाति
8	झौथरी	गोरादा	अनुसूचित जनजाति
		माल	अनुसूचित जनजाति
		वाणिया तलाब	अनुसूचित जनजाति
9	सागवाडा	नोखना	अनुसूचित जनजाति
		बिलिया बडगामा	अनुसूचित जनजाति
		विराट	अनुसूचित जनजाति
		नयागांव	अनारक्षित
		खडगदा	अनुसूचित जनजाति
10	सीमलवाडा	कराडा	अनारक्षित
		गडागोकल	अनुसूचित जनजाति
		भण्डारी	अनुसूचित जनजाति

- 1- ग्रामीण क्षेत्र में महिला जिस ग्राम पंचायत के लिए आवेदन कर रही है, उसी ग्राम पंचायत की स्थानीय निवासी होनी चाहिए। साथिन के पद पर आवेदन हेतु महिला का विवाहित होना आवश्यक नहीं है।
- 2- आवेदनकर्ता महिला के घर में शौचालय होने के एवं उसका नियमित उपयोग किये जाने संबंधी घोषणा आवेदन पत्र में की जानी अनिवार्य है।
- 3- साथिन हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता दसवीं उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।





# कार्यालय: सहायक निदेशक, महिला अधिकारिता, डूंगरपुर

E-Mail : we.dungarpur@gmail.com

साबेला, बाई पास रोड़ डूंगरपुर



- 4- विज्ञप्ति जारी होने की तिथि को आवेदन की न्यूनतम आयु 21 वर्ष एवं अधिकतम 40 वर्ष, लेकिन आयु अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग/आर्थिक पिछड़ा वर्ग/ विधवा/ तलाकशुदा/ परित्यक्ता/विशेष योग्यजन के लिए 45 वर्ष होनी चाहिए।
- 5- सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की जारी परिपत्र क्रमांक 45955 दिनांक 08.08.2019 के अनुसार पिछड़ा वर्ग में होने का लाभ प्रदान किया जाएगा व इस संबंध में समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देश लागू होंगे।
- 6- चयन परिपत्र क्रमांक 38229 दिनांक 14.10.2022 विभागीय वेबसाईट पर उपलब्ध हैं।
- 7- योग्य अभ्यर्थी अपना पूर्ण भरा हुआ आवेदन पत्र दो प्रतियों में सम्पूर्ण दस्तावेजों की स्वयं प्रमाणित प्रतियों के साथ सहायक निदेशक, महिला अधिकारिता, डूंगरपुर के कार्यालय में व्यक्तिशः उपस्थित होकर दिनांक 02.12.2024 से 31.12.2024 सांय 6:00 बजे तक जमा करवाकर रसीद प्राप्त करें। अंतिम तिथि पश्चात् किसी भी स्थिति में आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे।
- 8- आवेदन की परिनिरीक्षा के उपरान्त आवेदकों को उनके अकों व वांछित अपूर्णताओं से अवगत कराया जाएगा। और उन्हें आपत्ति प्रस्तुत करने व अपूर्णता दूर करने के लिए 7 दिवस का अवसर दिया जाएगा। जिसकी अंतिम तिथि सहित सूचना कार्यालय नोटिस बोर्ड पर चस्पा की जाएगी।
- 9- आवेदन फार्म विभागीय वेबसाईट [www.wcd.rajasthan.gov.in](http://www.wcd.rajasthan.gov.in) से अथवा कार्यालय: सहायक निदेशक, महिला अधिकारिता विभाग डूंगरपुर से प्राप्त किये जा सकते हैं।
- 10- इस संबंध में विस्तृत जानकारी कार्यालय: सहायक निदेशक, महिला अधिकारिता विभाग डूंगरपुर से प्राप्त की जा सकती हैं।

सहायक निदेशक  
महिला अधिकारिता, डूंगरपुर  
दिनांक : 29-11-2024

क्रमांक : मअ/डूंगरपुर/साथिन/विज्ञप्ति/2024/865  
प्रतिलिपि :

- 1-श्रीमान् आयुक्त महोदय, महिला अधिकारिता, राजस्थान जयपुर।
- 2-श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय, डूंगरपुर।
- 3-श्रीमान् मुख्य कार्यकारी अधिकारी महोदय, जिला परिषद्, डूंगरपुर।
- 4-विकास अधिकारी पंचायत समिति डूंगरपुर,दोवडा,बिछीवाडा,झौथरी, सागवाडा, गलियाकोट, सीमलवाडा, चिखली, आसपुर एवं साबला को आगामी ग्रामसभा में नियमानुसार साथिन चयन सुनिश्चित करने हेतु संबंधित ग्राम पंचायत सरपंच/सचिव को निर्देशित करने की श्रम करावें।
- 5-सुपरवाइजर, महिला अधिकारिता समस्त को भेजकर कर लेख है कि प्राप्त आवेदन पत्रों एवं वरियता सूची के साथ ग्रामसभा में उपस्थित होकर नियमानुसार साथिन चयन सुनिश्चित करें।
- 6-सम्पादक दैनिक भास्कर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त विज्ञप्ति का प्रकाशन डूंगरपुर संस्करण के स्थानीय पेज पर डीपीआर दर पर न्यूनतम स्पेस में करवाकर बिल इस कार्यालय को भिजवाने का श्रम करें।
- 7-प्रोग्रामर महिला अधिकारिता, राजस्थान जयपुर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
- 8-नोटिस बोर्ड कलेक्ट्रेट/जिला परिषद्/कार्यालय हाजा।
- 9- सरपंच/सचिव, संबंधित ग्राम पंचायत.....।
- 10- रक्षित पत्रावली।

सहायक निदेशक  
महिला अधिकारिता, डूंगरपुर